फर्द अहकाम
(नियम 26)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी-मुकाम, सूरजगढ़

बीरबल बनाम राजेन्द्र वगै0

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढ़ी)
मुकदमा न0 /13/...../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2020	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 लगायत 8, 10 उपस्थित नहीं तथा न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी नं. 9 की तामील चस्पांदगी से हुई है। तामील प्रर्याप्त है। जो आज उपस्थित नहीं। अतः समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा एलआरएक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128(पत्थरगढ़ी) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में विवादित भूमि ख.नं. 398 रकबा 1.24 है0, खसरा नं. 664/393 रकबा 0.0100 है0, खसरा नं. 666/393 रकबा 0.0700 है0 व खसरा नं. 669/393 रकबा 1.7900है0 वाके ग्राम बेरला की मुताबिक फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 पटवारी हल्का के मुताबिक पत्थरगढ़ी किया जाना सूनिश्चित करें। फर्द सीमाज्ञान की प्रति संलग्न भिजवाई जावें। तहसीलदार की तहरीर [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:44:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner